न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 13/2018 दायर तारीख 05/04/2018

अनवान

1. कंचन देवी पत्नि राम नाथ जाति कराड़ निवासी जलीन्द्री, तहसील बिजौलियां
2. तुलसी देवी पत्नि मन्नालाल जाति कराड़ निवासी जलीन्द्री, तहसील बिजौलियां
3. घीसी पत्नि मोहनलाल जाति कराड़ निवासी जलीन्द्री, तहसील बिजौलियां
4. मनभर पत्नि आनन्दीलाल जाति कराड़ निवासी जलीन्द्री, तहसील बिजौलियां

....................वादीगण

बनाम

1. कालू पिता कंवरा जाति बंजारा निवासी दुदिया खेड़ी, तहसील बिजौलियां
2. लाली बेवा बाबू जाति बंजारा निवासी दुदिया खेड़ी, तहसील बिजौलियां
3. शांति पत्नि कालू जाति बंजारा निवासी दुदिया खेड़ी, तहसील बिजौलियां
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां

................प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री छीतरलाल धाकड़ अधिवक्ता वादी
श्री के.सी. तम्बोली अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 23/07/2019

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 06/03/2019 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम जलीन्द्री स्थित आराजी नम्बर 504 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वां व आराजी नम्बर 537 रकबा 17 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 7–14 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा से विभाजन किये जाने के आदेश पारित किये गये। आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक 720 दिनांक 20.05.2019 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर वकील वादी ने सहमति व्यक्त की हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदार के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक रूप से अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	कालू पिता कंवरा 1/3 शांति पत्नि कालू 1/3 लाली बेवा बाबू 1/3 बंजारा सा. दुदिया खेड़ी सा देह रहन बीआरजी बैंक श्यामपुरा हि. कालू व शान्ती का	जलीन्द्री	504	3–08	जाव तृतीय 3–07 चाही प्रथम 0–01	
	योग		**किता 01**	**3–08**		
02	कंचनदेवी पत्नि रामनाथ तुलसीदेवी पत्नि मन्नालाल घीसीदेवी पत्नि मोहनलाल मनभरदेवी पत्नि आनन्दीलाल कराड़ सा देह खातेदार	जलीन्द्री	504	3–09	चाही तृतीय	
			किता 01	3–09		

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करें।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 23/07/2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner